संख्या-136/2018/1244/26-3-2018-40(विविध)/2017

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 7 मई 2018

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत मानीटरिंग सेल के गठन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-22/ज.जा.वि./2018-19, दिनांक-23.04.2018 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत मानीटरिंग सेल गठन हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसकी कार्य योजना निम्नवत् है:-

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | परियोजना सलाहकार सह अनुसंधानकर्ता-3 | 6 माह हेतु नियत मानदेय (रू0 20,000) प्रतिमाह | 3 x 6x20000 | 3,60,000/- |
| 2 | अनुसंधान सहायक-4 | रूपया-15,000/प्रतिमाह (06 माह हेतु) | 4 x 6 x 15000 | 3,60,000/ |
| 3 | तकनीकी सहायक सह कम्प्यूटर आपरेटर-4 | सेवा प्रदाता के माध्यम से रूपया-10,000/-प्रतिमाह (06 माह हेतु) | 4 x 6 x 10000 | 2,40,000/- |
| 4 | वर्क सेट अप, प्रिन्टिंग, संचार-डाटा प्रोसेसिंग, कलेक्शन एवं कम्पाइलेशन | - | - | 1,59,000/- |
| 5 | यात्रा आदि | - | - | 4,00,000/- |
| 6 | विविध(वर्कशाप/बैठक/प्रशिक्षण | - | - | 5,00,000/- |
| | योग- | - | - | 20,19,000/- |

2- निदेशालय, जनजाति विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 की योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनवन्धु कल्याण योजना (के 100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित आय-व्ययक धनराशि रूपया-95.00 लाख (रू0 पच्चानबे लाख) के सापेक्ष भारत सरकार से अवमुक्त धनराशि रू0-21.59 लाख (रू0 इक्कीस लाख उनसठ हजार मात्र) में से रू0-20.19 लाख (रू0 बीस लाख उन्नीस हजार मात्र) धनराशि की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबन्धों तथा इस योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)-स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व वर्षों में स्वीकृत की गयी धनराशि का सम्पूर्ण व्यय/उपभोग किया गया हो और कोई धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकखानों/डिपाजिट आदि खातों में अवशेष जमा नहीं है और पूर्व में स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

(4)-उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को भी यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-81 के अंतर्गत मुख्य लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0110-वनवन्धु कल्याण योजना (के100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

पृ0संख्या-136/2018/1244(1)/26-3-2018- तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- राज्य योजना आयोग-1/2
4- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
6- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।